क्या निषेचित मानव अंडा व्यक्ति है?

डॉ. डी. बालसुब्रमण्यन

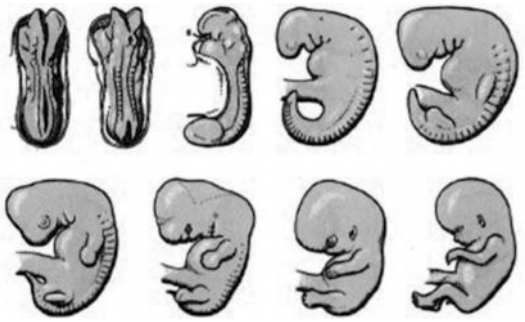

व्यक्ति क्या है? दार्शनिक, आचारविद और नैतिकताविद इस सवाल पर सदियों से विचार करते आए हैं और हर पीढ़ी नई-नई दलीलें लेकर आती है।

अमरीका में एक काफी दिलचस्प बहस चल रही है। यू.एस.ए. में 50 प्रांत हैं और इनमें से अधिकांश (खास तौर से दक्षिणी) प्रांतों में ताकतवर धार्मिक लॉबियां हैं जो सरकार की नीतियों पर दबाव बनाती रहती हैं। खास तौर से मानव विकास, गर्भपात, स्टेम कोशिका अनुसंधान तथा अन्य सम्बंधित मुद्दों पर ये लॉबियां सरकार पर काफी दबाव डालती हैं।

यू.एस. के राज्यों में गर्भपात कानूनी रूप से वैध है। दरअसल, 1973 में महिलाओं के गर्भपात के अधिकार का मामला ठेठ सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा था और उसने यह फैसला सुनाया था कि गर्भ की पहली तिमाही में गर्भपात करवाना महिलाओं का संवैधानिक अधिकार है। तब से विभिन्न राज्यों में लगातार कोशिशें चलती रही हैं कि इस फैसले को पलट दिया जाए।

गर्भपात के खिलाफ एक महत्त्वपूर्ण दलील यह रही है कि फीटस (विकसित भ्रूण) एक 'व्यक्ति' है। कानूनी रूप से अजन्मे बच्चे को एक व्यक्ति के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है। यू.एस. सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि "यदि जन्मपूर्व बच्चे का व्यक्ति होना स्थापित कर दिया जाता है तो गर्भपात का अधिकार समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उस स्थिति में संविधान के तहत फीटस को जीवन के अधिकार की गारंटी होगी।" तो बहस का केंद्रीय मुद्दा यह हो गया कि क्या फीटस एक व्यक्ति है। गौरतलब है कि निषेचन के बाद बने भ्रूण को 9 सप्ताह बाद फीटस कहते हैं।

और यदि हम फीटस को एक व्यक्ति मान लेते हैं, तो फिर उस भ्रूण को व्यक्ति मानने में क्या कठिनाई है, जिससे फीटस का विकास हुआ है? या भ्रूण बनने से भी पहले की स्थिति यानी निषेचित अंडे को क्यों न व्यक्ति माना जाए? यदि यह मान लिया जाएगा, तो 1973 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त गर्भपात का अधिकार स्वतः समाप्त हो जाएगा।

यू.एस. के एक प्रांत कोलेरेडो के चुने हुए प्रतिनिधि 2008 में इसी मुद्दे को कानूनी मान्यता दिलवाना चाहते थे। जब इस मुद्दे पर वोट डलवाए गए तो इसे बहुमत नहीं मिल सका। वर्ष 2010 में एक बार फिर कोशिश की गई मगर 70-30 के मत विभाजन से यह प्रस्ताव एक बार फिर खारिज हो गया।

और अब मिसिसिपी प्रांत में 'व्यक्ति' की परिभाषा का यही मुद्दा उठा है। इस सवाल पर कई जन सुनवाइयां आयोजित की गई हैं: "क्या 'व्यक्ति' शब्द में निषेचन या क्लोनिंग या उसके तुल्य प्रक्रिया में किसी भी क्षण से हर मानव को शामिल किया जाए?"

ऐसी कई सारी जन सुनवाइयों के बाद यह मुद्दा राज्य की विधायिका में पहुंचा और इस पर 8 नवंबर 2011 के दिन वोटिंग किया गया। इसे बहुमत से खारिज कर दिया गया। लिहाज़ा, आज के दिन यू.एस. में मानव फीटस, भ्रूण या क्लोन व्यक्ति नहीं है। यह आज की स्थिति है, मगर यह कब तक जारी रहेगी? पूरी संभावना है कि नए सिरे से कोशिशें की जाएंगी और हो सकता है कि कोई प्रांत भ्रूण को व्यक्ति का दर्जा दे देगा। तब यू.एस. में गर्भपात गैर-कानूनी हो जाएगा।

गौरतलब है कि जॉर्ज डब्लू. बुश ने मानव भ्रूण स्टेम कोशिकाओं सम्बंधी अनुसंधान के लिए संघीय सरकार द्वारा फंडिंग पर रोक लगा दी थी। उनकी दलील यह थी कि चूंकि इससे एक इन्सान बन सकता है, इसलिए हमें इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह काम मनुष्य द्वारा ईश्वर की भूमिका अख्तियार करने जैसे होगा।

तो व्यक्ति क्या है? इस सवाल का जवाब देना आसान नहीं है। विश्वकोश और विकीपीडिया पर एक नज़र डालें तो कई नज़रिए सामने आते हैं। सत्रहवीं सदी के फ्रांसीसी विचारक रेने देकार्ते का मत था कि सोचना व संज्ञान एक व्यक्ति होने के लिए अनिवार्य हैं। उन्होंने कहा था "*कोजिटो एर्गो सम*" अर्थात "मैं सोचता हूं, इसलिए मैं हूं"।

एक सदी बाद ब्रिटिश दार्शनिक जॉन लॉक और डेविड ह्यूम ने दलील दी थी कि व्यक्ति वह है जो एक लंबे समय तक सतत चेतना का धनी हो और अन्य व्यक्तियों के साथ उसके अंतर्वैयक्तिक सम्बंध होने चाहिए। शब्द 'सतत' पर गौर करें। यदि आप सतत चेतन नहीं रहते, जैसा कि गंभीर दिमागी चोट के बाद होता है, तो क्या आप 'व्यक्ति' नहीं रह जाते?

मगर मेरे ख्याल में, व्यक्ति होने के मर्म को सबसे अच्छी तरह पकड़ा है तो समकालीन दार्शनिक थॉमस आई. वाइट ने। थॉमस वाइट लोयोला मेरीमाउंट विश्वविद्यालय, लॉस एंजेल्स से हैं। वे मानते हैं कि व्यक्ति कहे जाने के लिए निम्नलिखित गुणधर्म अनिवार्य हैंः जीवित होना, सचेत होना, सकारात्मक व नकारात्मक संवेदनाएं महसूस करना, भावनाएं होना, स्व की चेतना होना, अपने व्यवहार पर नियंत्रण कर पाना, अन्य व्यक्तियों को पहचान पाना और संज्ञान क्षमता का होना।

हालांकि इनमें देकार्ते, लॉक और ह्यूम के विचार समाहित हो गए हैं, मगर ध्यान देने की बात यह है कि वाइट की व्यक्ति की परिभाषा में मानवेतर जीव भी शामिल हो सकते हैं, जैसे उच्चतर प्राइमेट्स और शायद डॉल्फिन भी। दरअसल, वाइट ने हाल ही में एक पुस्तक लिखी है जिसका शीर्षक है '*इन डिफेंस ऑफ डॉल्फिन्सः दी न्यू मॉरल फंटियर*' यानी डॉल्फिन के पक्ष मेंः एक नई नैतिक सरहद।

लिहाज़ा लगता है कि व्यक्ति होने की कसौटियों पर राजनैतिक या दार्शनिक दृष्टि से अंतिम फैसला फिलहाल नहीं आया है।

ऐसे गंभीर मुद्दे कभी हास्य से वंचित नहीं रहते। जब मिसिसिपी में चल रही कोशिशों को लेकर *दी इकॉनॉमिस्ट* में रिपोर्ट आई थी, तब एक पाठक बेंजामिन त्वाई ने लिखा थाः "मैं और मेरी पत्नी परखनली शिशु के बारे में विचार कर रहे हैं। मिसिसिपी के प्रस्तावित संशोधन ने हमें एक और कारण दिया है कि हम इस उपचार में आगे बढ़ें। शरीर से बाहर निषेचन के दौरान जो अतिरिक्त भ्रूण बनेंगे, हम उनका संरक्षण अपने हाथों में लेने का आग्रह करेंगे। आखिर पालकों के रूप में यह हमारा हक बनता है। अपने घर के सुरक्षित वातावरण में हम इन्हें अपने तहखाने में फ्रीज़र में रख देंगे और यह दावा करेंगे कि उनकी शिक्षा के लिए हमें टैक्स में छूट मिले। बिजली कटौती के मद्देनज़र हमें एक बैकअप जनरेटर भी खरीदना होगा। ऐसा न किया तो हम अच्छे पालक नहीं कहला सकते।" ***(स्रोत फीचर्स)***

वर्ग पहेली 87 का हल

कु	नै	न			ह		बो	स
पो			प्रा	ची	र			वा
ष	ट	को	ण		सिं		सा	ल
ण		य		बै	गा		बि	
	श	ल	भ		र	ज	त	
	ह		वि	ष		ड़		का
क	द		ष्य		त	त्व	ज्ञा	न
क्ष			वा	ह	न			कु
क	ला		णी			प	व	न